

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर के विद्यालय सभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत जारी से रीमा तक 6.00 किमी मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्तें

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भौति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरण विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा टेकेडार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सर्वान्वित वनाधिकारी द्वारा निराधारित मुआवजे के मुताना होगा, जिसके यात्रक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरणीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुल्य वन सम्बद्ध से अद्वादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य व्यवस्था से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिवर्त्य यह होगा कि वन सम्बद्ध की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छ विवरण की करणा याचक विभाग करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग / जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरायों पोथों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नरसरायों पोथों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्त जल की सुविधा उपलब्ध करायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यवित विशेष की हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः विभाग की प्रतिकर का प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग पर वन भूमि स्वतः विभाग की प्रतिकर का प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा कि अख्यात वन मार्गों को फेर बदल कर पवका को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्भत भवन आदि स्वतः विभाग कीसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनमेंट तथा होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श साठीनिविदि द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, साठीनिविदि के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वी शेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संस्था 608 सी० दिनांक 10-२-८२ में निहित आदेशों का पालन भी साठीनिविदि द्वारा किया जायेगा कि अख्यात वन मार्गों को फेर बदल कर पवका करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरस्तारण वन विभाग उत्तराखण्ड वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निरस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अधिवा समतुल्य गेर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के द्वाने गेर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तथा किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन परामर्श को अधिक भाल पर खड़े वृक्षों का पालन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पालन भी वर्तित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरिक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्मों को ऊँचे करके इसे सुनिश्चित उप किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो घन्टान घेन्हों की संख्या सुनुक्त स्थल निरक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्मानना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पवका करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशेषि प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित रस्तर से आशवासन प्राप्त हो जाय। प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खंड, लो.निवि.वि०
कपकोट कानून

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खंड, लो.निवि.
कपकोट कानून